2021/50

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय जिला कलक्टर, सिरोही

प्रार्थी / अपीलांट	बनाम	अप्रार्थी / रेस्पोडेन्ट
श्रीमती शकुन्तलादेवी पत्नि भोपालसिंह जाति डाबी निवासी चन्दन भवन सार्दुलपुरा कॉलोनी जिला सिरोही।		सरकार जरिये लोक सूचना अधिकारी अतिरिक्त जिला कलक्टर सिरोही

किस्म मुकदमा– अपील अन्तर्गत धारा 19 आर.टी.आई. एक्ट 2005

मुकदमा नं.29 वर्ष 2021

दिनांक हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
10.03.2021	अपीलांट ने यह प्रथम अपील रेस्पोडेन्ट के विरूद्ध सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 के तहत उनके द्वारा मांगी गई सूचना उपलब्ध नही कराने से धारा 19 के तहत प्रस्तुत की गई । अपीलांट की अपील दर्ज रजिस्टर की जावे । अपीलांट द्वारा अपनी अपील में निवेदन किया गया हैं कि उसके द्वारा लोक सूचना अधिकारी अतिरिक्त जिला कलक्टर सिरोही को दिनॉक 09.02.2021 को एक प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया कि मौजा ग्राम माण्डवा पटवार हल्का गोल में स्थित कृषि भूमि पुराने खसरा संख्या 240/3 मी की संवत 2044 से 2060 तक एवं खसरा संख्या 412 की संवत 2061 से 2068 तक की जमाबन्दी की नकल एवं श्री चैनसिंह पुत्र श्री हिम्मतसिंह की मृत्यु दिनांक 05.09.1991 को होने के पश्चात् उत्तराधिकारी का नामान्तरकरण हेतु वर्ष 1998 में दिए गए प्रार्थना पत्र की नकल एवं उस पर पटवारी हल्का द्वारा की गई जांच एवं नामान्तरकरण संख्या 551 दिनांक 27.02.1998 की नकल एवं खसरा सं. 412 के नामान्तरकरण संख्या 182 की नकल एवं नामान्तरकरण दर्ज करने हेतु दिए गए न्यायालय आदेश दिनांक 07.04.2010 की नकल एवं माण्डवा के खसरा सं. 905/412 की संवत 2069 से 2076 तक की जमाबन्दी की नकल एवं इसी खसरा सं. के सम्बन्ध में श्रीमती गुलाबीबाई की मृत्यु दिनांक 02.07.2007 के पश्चात् नामान्तरकरण दर्ज करने हेतु दिए गए आवेदन एवं दर्ज किए गए नामान्तरकरण की नकल एवं इसके पश्चात् इसी खसरा सं. के सम्बन्ध श्री भवूतसिंह पुत्र श्री चैनसिंह की मृत्यु दिनांक 18.06.2016 के पश्चात् नामान्तरकरण दर्ज करने हेतु दिए गए आवेदन की नकल एवं पटवारी हल्का द्वारा की गई कार्यवाही एवं नामान्तरकरण की नकल एवं इसी खसरा सं. के अडौस–पडौस को दर्शाते हुए नक्शे की नकल से सम्बन्धित सूचना लोक सूचना अधिकारी से दिलाये जाने का निवेदन किया गया था । किन्तु निर्धारित समयावधि में उसे चाही गई सूचना उपलब्ध नही कराई गई हैं । मैने पत्रावली [illegible] जो प्रथम [illegible] कि अपीलांट द्वारा निर्धारित शुल्क रूपये 10 जमा करा दिये हैं। अपीलांट द्वारा लोक सूचना अ[illegible] दिनॉक 09.02.2021 को एक प्रार्थना पत्र देकर अतिरिक्त जिला कलक्टर सिरोही को निवेदन किया कि मौजा ग्राम माण्डवा पटवार हल्का गोल में स्थित कृषि भूमि पुराने खसरा संख्या 240/3 मी की संवत 2044 से 2060 तक एवं खसरा संख्या 412 की	

जिला कलेक्टर, सिरोही

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagwati Prasad Kalal
Date: 2021.05.27 12:14:22 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

संवत 2061 से 2068 तक की जमाबन्दी की नकल एवं श्री चैनसिंह पुत्र श्री हिम्मतसिंह की मृत्यु दिनांक 05.09.1991 को होने के पश्चात् उत्तराधिकारी का नामान्तरकरण हेतु वर्ष 1998 में दिए गए प्रार्थना पत्र की नकल एवं उस पर पटवारी हल्का द्वारा की गई जांच एवं नामान्तरकरण संख्या 551 दिनांक 27.02.1998 की नकल एवं खसरा सं. 412 के नामान्तरकरण संख्या 182 की नकल एवं नामान्तरकरण दर्ज करने हेतु दिए गए न्यायालय आदेश दिनांक 07.04.2010 की नकल एवं माण्डवा के खसरा सं. 905/412 की संवत 2069 से 2076 तक की जमाबन्दी की नकल एवं इसी खसरा सं. के सम्बन्ध में श्रीमती गुलाबीबाई की मृत्यु दिनांक 02.07.2007 के पश्चात् नामान्तरकरण दर्ज करने हेतु दिए गए आवेदन एवं दर्ज किए गए नामान्तरकरण की नकल एवं इसके पश्चात् इसी खसरा सं. के सम्बन्ध श्री भबूतसिंह पुत्र श्री चैनसिंह की मृत्यु दिनांक 18.06.2016 के पश्चात् नामान्तरकरण दर्ज करने हेतु दिए गए आवेदन की नकल एवं पटवारी हल्का द्वारा की गई कार्यवाही एवं नामान्तरकरण की नकल एवं इसी खसरा सं. के अडौस–पडौस को दर्शाते हुए नक्शे की नकल से सम्बन्धित सूचना उपलब्ध करवाई जावे। चूंकि जिला कलक्टर कार्यालय (भू.अ.) सिरोही द्वारा अपीलांट को जरिये पत्र क्रमांक 499 दिनांक 18.02.2021 द्वारा सूचित कर दिया गया है कि राजस्थान भू–राजस्व(भू.अ.) नियमावली 1957 के नियम 28 के तहत आवेदन एवं निर्धारित शुल्क(स्टाम्प) जमा करावे। अपीलांट द्वारा शुल्क जमा नहीं करवाकर यह अपील इस न्यायालय में बेबुनियाद तथ्य बताते हुए पेश की है। अतः अपीलांट की अपील खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(भगवती प्रसाद)
जिला कलक्टर, सिरोही

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhagwati Prasad Kalal
Date: 2021.05.27 12:14:22 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner